डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

जज अदालत–न्यायाल सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) बॉदीकुई मुकाम–बांदीकुई

जज इजलास– नीतू करोल आर.ए.एस. सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) बांदीकुई

उनवान– रामप्रताप बनाम रंगलाल

दावा बाबत– बेदखली आदेशात्मक निषेधाज्ञा व स्थायी निषेधाज्ञा

मु.न. 230 / 2019 न्यायालय हाजा में दर्ज संख्या 56 / 2023

आदेश है कि वाद वादीगण दावा बाबत बेदखली आदेशात्मक निषेधाज्ञा व स्थायी निषेधाज्ञा का आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम सकरेला की ढाणी ऊनबडागांव तहसील बसवा जिला दौसा में खाता सं. नया 43 पुराना 141 का खसरा नं. 2505 / 949 रकबा 0.44 हैक्टे.वादीगण की सहखातेदारी भूमि है जिसमें प्रतिवादी संख्या प्रतिवादी 1 लगायत 17 खातेदार नही है। इसलिये प्रतिवादीगण को वादीगण के कब्जे काश्त में दखल देने से स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर 2505 / 949 यदि प्रतिवादीगण द्वारा कोई कब्जा किया है, तो उस कब्जे से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाता है। ।

निज..............................मुबलिग..बाबत्....................
......................खर्चा इस मुकदमें के मय सूद मसरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें। बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21 माह 07 सन् 2025 को जारी की गई।

(नीतू करोल)
आरएएस
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
बांदीकुई

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) बांदीकुई

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामास्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल	स्आम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल

दस्तखत.................
ओहदा.................

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) बांदीकुई

मु.न. 230/2019
न्यायालय हाजा में दर्ज संख्या 56/2023
निर्णय दिनांक 21.07.2025

उनवान

1. रामप्रताप पुत्र नारायण
2. रामहेत
3. कमलेश

} पुत्रान स्व. श्री रामजीलाल समस्त जाति माली निवासी ऊनबडागांव, तह. बसवा, हाल तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. रंगलाल
2. भगवानसहाय
3. कैलाश

} पुत्रान लच्छूराम

4. महेश पुत्र स्व. भौरीलाल
5. सुखलाल
6. विश्राम

} पुत्रान स्व. बाबूलाल

7. भोलाराम पुत्र भगवानसहाय
8. बबलू पुत्र भगवानसहाय
9. श्रीमती लाली देवी पत्नी कैलाश
10. श्रीमती लाली देवी पत्नी स्व. बाबूलाल
11. श्रीमती छोटी देवी पत्नी भगवानसहाय
12. श्रीमती केशन्ता देवी पत्नी महेश
13. सुनिता देवी पत्नी धन्नालाल
14. ललता देवी पत्नी सुखलाल
15. श्रीमती शीला देवी पत्नी विश्राम
16. श्रीमती संतरा देवी पत्नी भोलाराम
17. श्रीमती अनिता देवी पत्नी बबलू

   समस्त जाति माली निवासी ग्राम ऊनबडागांव, तहसील बसवा, हाल तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

18. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार तहसील बसवा हाल तहसीलदार बांदीकुई

प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत बेदखली आदेशात्मक निषेधाज्ञा व स्थायी निषेधाज्ञा</u>

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

वादी वादीगण जरिये वकील दावा बाबत बेदखली आदेशात्मक निषेधाज्ञा व स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई के न्यायालय में पेश किया गया। प्रकरण शीघ्र सुनवाई हेतु न्यायालय हाजा में स्थानान्तरित होकर पेश हुआ जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न है:– ग्राम सकरेला की ढाणी (ऊनबडागांव तहसील बसवा जिला दौसा में खाता सं. नया 43 पुराना 141 का खसरा नं. 2505/949 रकबा 0.44 हैक्टे. स्थित है। भूमि मुतदाविया में खातेदारान के बीच बाहमी तकास्मा अपने बुजुर्गो के समय से ही हो चुका था और खसरा न. 2505/949 वादीगण के कब्जे, इस्तेमाल उपयोग व उपभोग की रही है। जिस पर वादीगण अर्से दराज बजमाने बजुर्गान से काबिज रहकर काश्त कर मुफीद होते चले आ रहे है व लगान अदा करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण का किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार उक्त भूमि मुतदाविया से नहीं रहा है। प्रतिवादीगण का एक नाजायज गिरोह बना हुआ है और वादीगण कम आदमी वाले गरीब व असहाय व्यक्ति है तथा प्रतिवादीगण भूमाफिया लोग है, जो गांव में असहाय व कमजोर व्यक्तियों की भूमियों पर कब्जा करते रहते है। दिनांक 12–13.10.2019 में न्यायालय का अवकाश होने का नाजायज फायदा उठाते हुए प्रतिवादीगण ने दिनांक 11.10.2019 को हाथों में लाठी–डण्डे, फावडी बरछी लेकर आये और ट्रैक्टर में पत्थर, बजरी सीमेन्ट लेकर आये और जबरन वादीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नं. 2505/949 रकबा 0.44 हैक्टे. में जबरन अपना नाजायज जबरिया कब्जा करने के उद्देश्य से पुख्ता निर्माण का कार्य शुरू कर दिया। वादीगण ने उन्हें रोका तो आमादा फिसाद हो गये और जान से खत्म करने को आमादा हो गये। चूंकि वादीगण निहायत गरीब और असहाय लोग है, जिनकी असहाय व कमजोरी का फायदा उठाते हुए प्रतिवादीगण, वादीगण की कब्जे, काश्त व खातेदारी की भूमि पर निर्माण कार्य कर लिया और अनाधिकृत कब्जा वादीगण को बेदखल कर स्वयं का कर लिया। प्रतिवादीगण का किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार भूमि मुतदाविया से नहीं रहा है। उक्त भूमि की बाबत न्यायालय उपजिला कलेक्टर बांदीकुई एवं न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश बांदीकुई के प्रकरण भी लम्बित है, जिसमें दोनो ही न्यायालयो के द्वारा भूमि की मौके की व राजस्व रिकॉर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखने के लिए पाबंदी के आदेश भी चले आ रहे है। लेकिन प्रतिवादीगण ने लाठी के बल पर जबरन वादीगण की भूमि में निर्माण करके अपना अनाधिकृत कब्जा किया है, उन्हें बेदखल किया जाकर जरिये आदेशात्मक निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण द्वारा किये गये पुख्ता निर्माण को ध्वस्त कराया जाकर भूमि मुतदाविया को प्रतिवादीगण के कब्जे से मुक्त कराई जाकर कब्जा वादीगण का कराया जाना आवश्यक है। कानूनन वादीगण भूमि मुतदाविया के खातेदार, काश्तकार है और प्रतिवादीगण को बेदखल कराकर भूमि मुतदाविया पर अपना वास्तविक कब्जा कराने के अधिकारी है। इस अमर की डिक्री न्यायालय हाजा से वादीगण अपने पक्ष में पारित कराने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण ने अनाधिकृत तौर पर दिनांक 12–13.10.2019 में न्यायालय हाजा का अवकाश होने का फायदा उठाकर वादीगण की भूमि पर कुछ हिस्से पर निर्माण कार्य किया है और अभी भी निर्माण कार्य चालू है तथा प्रतिवादीगण लाठी के बल पर मय हथियारों से लैस होकर भूमि मुतदाविया पर काफी मजदूर व बेलदार लगाकर शीघ्र पुख्ता निर्माण कराने पर आमादा हो रहे है और एलानियां कह रहे है कि समस्त भूमि पर पुख्ता मकानों का निर्माण कर अपना नाजायज जबरिया कब्जा करके रहेगें और वादीगण को बर्बाद करके रहेगें। वादीगण काश्तकार पेशा व्यक्ति है और यदि प्रतिवादीगण ने निर्माण कार्य नहीं रोका तथा निर्माण कार्य पूरा कर लिया तो वादीगण भूमि मुतदाविया में अपने हक व अधिकारो से वंचित हो जावेगें तथा वादीगण के परिवारजनों व

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (...) बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

जानवरो के भूखे मरने की नौबत आ जावेगी। ऐसी सूरत में प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर से प्रतिबंधित किया जावें कि वे वादीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नं. 2505/949 रकबा 0.44 हैक्टे. पर या उसके किसी भी भाग पर खाम या पुख्ता निर्माण करने से, वादीगण को बेदखल कर स्वयं का नाजायज जबरिया कब्जा करने से, वादीगण के कब्जे, काश्त में दखलन्दाजी पैदा करने से स्वयं अपने एजेन्टो, नौकरो, घरवालो व अन्य मददगारान के दवामि तौर पर प्रतिबंधित रहें एवं प्रतिवादी नं. 18 भूमि मुतदाविया के मौके की व राजस्व रिकॉर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें। इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी वादीगण, अपने पक्ष में न्यायालय हाजा से प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण ने दिनांक 12–13.10.2019 को न्यायालय का अवकाश होने का नाजायज फायदा उठाते हुए वादीगण के कब्जे, काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नं. 2505/949 रकबा 0.44 हैक्टे. में जो निर्माण किया है और वादीगण को बेदखल किया है, वादीगण ने प्रतिवादीगण को रोकने की भरसक कोशिश की, लेकिन प्रतिवादीगण का संगठन ज्यादा होने के कारण वादीगण उनका मुकाबला नहीं कर सके और अब प्रतिवादीगण एलानियां धमकी दे रहे है कि हमने जो अधूरा निर्माण वादीगण की कब्जे, काश्त व खातेदारी की भूमि में किया है, उसे लाठी, के बल पर पूरा करके रहेगें तथा खाली भूमि में भी पुख्ता निर्माण करके रहेगें और वादीगण को भूमि मुतदाविया पर नहीं आने देगें और न काश्त करने देगें। अगर प्रतिवादीगण अपने मकसद में कामयाब होगी तो वादीगण को नुकसान अजीम नाकाबिले तायून व तकमीना होगा, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं हो सकेगी व गैरू जरूरी किस्म के मुकदमात दरमियान फरीकेन चल पडेगे जो बाय से बर्बादी वादीगण होगें। ऐसी सूरत में सिवाय दावा हाजा के और कोई चारा नजर नहीं आया। इस कारण दावा पेश करना लाजिमी आया है। बिनाय दावा व बिनाय मुखास्मत दिनांक 12.10.2019 को प्रतिवादीगण द्वारा लाठी के बल पर वादीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि में जबरन दाखिल होकर पुख्ता निर्माण करने से एवं वादीगण को बेदखल करने से अन्दर हदूद न्यायालय हाजा पैदा हुई है। दावा अन्दर मियाद पेश है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि बाद तहक (अ) डिक्री बेदखली व आदेशात्मक निषेधाज्ञा बहक वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जावें कि प्रतिवादीगण ने दिनांक 12–13.10.2019 को न्यायालय हाजा में अवकाश होने का नाजायज फायदा उठाते हुए वादीगण के कब्जे, काश्त व खातेदारी भूमि खसरा नं. 2505/949 रकबा 0.44 हैक्टे. स्थित ग्राम सकरेला की ढाणी, ऊनबडागांव तहसील बसवा पर जो अनाधिकृत निर्माण किया है और नाजायज कब्जा किया है, उससे प्रतिवादीगण को बेदखल किया जावें एवं जरिये आदेशात्मक निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अनाधिकृत पुख्ता निर्माण को व अनाधिकृत कब्जे को तुरंत हटाया जाकर भूमि मुतदाविया को प्रतिवादीगण के कब्जे से खाली कराई जाकर प्रतिवादीगण को बेदखल किया जावें एवं कब्जा वादीगण का कराया जावें। (ब) प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर से प्रतिबंधित किया जावें कि प्रतिवादीगण भूमि मुतदाविया खसरा नं. 2505/949 रकबा 0.44 हैक्टे. स्थित ग्राम सकरेला की ढाणी ऊनबडागांव तहसील बसवा जिला दौसा में जो अनाधिकृत निर्माण कार्य शुरू कर रखा है, उसे तुरंत प्रभाव से रोका जावें एवं वादीगण की भूमि में किसी भी प्रकार का खाम व पुख्ता निर्माण करने से वादीगण के कब्जे, काश्त में मजाहमत पैदा करने से, वादीगण को बेदखल कर स्वयं का नाजायज जबरिया कब्जा करने की कोशिश करने से व अन्य किसी भी प्रकार से वादीगण के अर्से दराज बजमाने बुजर्गान

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (टोंक) बांदीकुई

से चले आ रहे कब्जे काश्त में दखलन्दाजी पैदा करने से स्वयं या अपने एजेन्टो, नौकरो, घरवालो व अन्य मददगारान के दवामि तौर पर प्रतिबंधित रहे एवं प्रतिवादी सं. 18 भूमि मुतदाविया के राजस्व रिकॉर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें।

वादी वादीगण दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की गई:— प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 17 की और से श्याम सुन्दर शर्मा एडवोकेट द्वारा पावर पेश की गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 17 को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी जवाब पेश नही प्रतिवादी 1 लगायत 17 का जवाब बन्द किया जाकर पत्रावली वादी साक्ष्य पर नियत की गई। वादी की ओर से रामप्रसाद पुत्र नारायण, रामहेत पुत्र रामजीलाल का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया वादी साक्ष्य रामप्रसाद से जिरह की गई। रामहेत से जिरह करने हेतु प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित नही जिरह अवसर बन्द किया जाकर पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य पर नियत की गई। प्रतिवादी साक्ष्य हाजीर नही होने से प्रतिवादी साक्ष्य बन्द की जाकर पत्रावली बहस पर नियत की गई। प्रतिवादी बहस हेतु उपस्थित नही होने पर प्रकरण में एक पक्षीय बहस सुनी गई।

बहस के दौरान वादी अधिवक्ता द्वारा अपने दावे को दोहराते हुये तर्क किया है कि भूमि मुतदाविया में खातेदारान के बीच बाहमी तकास्मा अपने बुजुर्गो के समय से ही हो चुका था और खसरा न. 2505/949 वादीगण के कब्जे, इस्तेमाल उपयोग व उपभोग की रही है। जिस पर वादीगण अर्से दराज बजमाने बजुर्गान से काबिज रहकर काश्त कर मुफीद होते चले आ रहे है व लगान अदा करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण का किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार उक्त भूमि मुतदाविया से नहीं रहा है। प्रतिवादीगण ने दिनांक 12—13.10.2019 को न्यायालय हाजा में अवकाश होने का नाजायज फायदा उठाते हुए वादीगण के कब्जे, काश्त व खातेदारी भूमि खसरा नं. 2505/949 रकबा 0.44 हैक्टे. स्थित ग्राम सकरेला की ढाणी, ऊनबडागांव तहसील बसवा पर जो अनाधिकृत निर्माण किया है और नाजायज कब्जा किया है, उससे प्रतिवादीगण को बेदखल किया जावें एवं जरिये आदेशात्मक निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अनाधिकृत पुख्ता निर्माण को व अनाधिकृत कब्जे को तुरंत हटाया जाकर भूमि मुतदाविया को प्रतिवादीगण के कब्जे से खाली कराई जाकर प्रतिवादीगण को बेदखल किया जावें एवं कब्जा वादीगण का कराया जावें अतः दावा स्वीकार किया जावे।

बहस वादी पक्ष पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रकरण में प्रतिवादीगण का जवाब पेश नही होने के कारण तनकीयात कायम नही की गई। मूल रूप से वादीगण का कथन है कि प्रतिवादीगण ने दिनांक 12—13.10.2019 को न्यायालय हाजा में अवकाश होने का नाजायज फायदा उठाते हुए वादीगण के कब्जे, काश्त व खातेदारी भूमि खसरा नं. 2505/949 रकबा 0.44 हैक्टे. स्थित ग्राम सकरेला की ढाणी, ऊनबडागांव तहसील बसवा पर जो अनाधिकृत निर्माण किया है और नाजायज कब्जा किया है, उससे प्रतिवादीगण को बेदखल किया जावें एवं जरिये आदेशात्मक निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अनाधिकृत पुख्ता निर्माण को व अनाधिकृत कब्जे को तुरंत हटाया जाकर भूमि मुतदाविया को प्रतिवादीगण के कब्जे से खाली कराई जाकर प्रतिवादीगण को बेदखल किया जावें एवं कब्जा वादीगण का कराया जावे। उक्त कथन को साबित करने का भार वादीगण पर वादीगण द्वारा उक्त कथन के समर्थन में प्रदर्श 1 ग्राम सकरेला की ढाणी खाता संख्या 43 नया पुराना 141, प्रदर्श 2 नक्शा ट्रेस पेश किये गये है प्रदर्श 1 खसरा नम्बर 2505/949 वादीगण की सहखातेदारी भूमि है जिसमें प्रतिवादी

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(...) बांदीकुई

संख्या प्रतिवादी 1 लगायत 17 खातेदार नही है। कोई भी खातेदार अपनी खातेदारी भूमि में किसी बाहरी व्यक्ति को दखल देने से स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द करवा सकता है। परन्तु वादीगण का यह भी कथन है कि वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा पुख्ता निर्माण किये जाने का कथन किया गया है। जिसके संबध में कोई दस्तावेज/साक्ष्य पेश नही किये गये जिससे यह साबित हो की वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा कोई पक्का निर्माण किया गया हो यह तथ्य वादीगण साबित करने में असफल रहे है। प्रदर्श 1 के अनुसार वादग्रस्त भूमि वादीगण की शामलाती खातेदारी भूमि है जिसमें प्रतिवादीगण खातेदार नही है। इसलिये प्रतिवादीगण को वादीगण के कब्जे काश्त में दखल देने से पाबन्द किया जा सकता है तथा वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 2505/949 यदि प्रतिवादीगण द्वारा कोई कब्जा किया है, तो को बेदखल किया जा सकता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि वाद वादीगण दावा बाबत बेदखली आदेशात्मक निषेधाज्ञा व स्थायी निषेधाज्ञा का आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम सकरेला की ढाणी ऊनबडागांव तहसील बसवा जिला दौसा में खाता सं. नया 43 पुराना 141 का खसरा नं. 2505/949 रकबा 0.44 हैक्टे.वादीगण की सहखातेदारी भूमि है जिसमें प्रतिवादी संख्या प्रतिवादी 1 लगायत 17 खातेदार नही है। इसलिये प्रतिवादीगण को वादीगण के कब्जे काश्त में दखल देने से स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर 2505/949 यदि प्रतिवादीगण द्वारा कोई कब्जा किया है, तो उसे कब्जे से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा आज दिनांक 21.07.2025 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नीतू करोल)
आरएएस
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
बांदीकुई

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) बांदीकुई

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	रामप्रताप बनाम रंगलाल	

7/7/15

पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष [illegible] बहस सुनी वास्ते आदेश दिनांक 15/7/15 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) बांदीकुई

15/7/15

[illegible] कार्य व्यस्त [illegible] गत [illegible] आदेश [illegible] को पेश हो।

21/7/15

हस्ताक्षर, रीडर

21/7/15

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप० फैसला अलग उद्घोषित किया गया वाद वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार कर विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। डिक्री निर्णय [illegible] से निर्मित [illegible] बाद तकमील पत्रावली [illegible] किया गया।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) बांदीकुई